न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 11/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर		सुनील पुत्र चैनसिंह जाति-रावणा राजपूत, निवासी राजीव गांधी कॉलोनी, देवनगर, जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थितिः –
1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्री पुष्पराज पालीवाल प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर उपस्थित।
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 21.10.2024

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी सुनील पुत्र चैनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी राजीव गांधी कॉलोनी देवनगर जोधपुर के विरूद्ध यह प्रकरण जब्तसुदा 05 घरेलु गैस सिलेण्डर, एक छोटा सिलेण्डर, एक दो मुह पाईप वाली इलेक्ट्रीक मोटर, एक नोजल मय रेगुलेटर को राज्यसात करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 10.03.2023 को राजीव गांधी कॉलोनी में एक दुकान में अवैध गैस सिलेण्डर रिफलिंग किये जाने की सूचना पर जिला प्रवर्तन अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षक कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा कॉलोनी में महावीर प्लाईवुड दुकान के सामने, जांगिड़ प्लाईवुड वाली गली में स्थित एक दुकान पर पहुंचे। दुकान पर उपस्थित व्यक्ति मौके से भाग गया। मौके पर ... निरीक्षण करने पर उक्त दुकान में एच.पी.गैस के 05 घरेलु गैस सिलेण्डर ... एक दो मुह

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2024.12.17 16:22:19 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

पाइप वाली इलेक्ट्रिक मोटर एक नोजल मय रेगुलेटर पाये गये। 05 घरेलु गैस सिलेण्डरों में से 4 घरेलु गैस सिलेण्डरों में गैस भरी हुई पाई गई तथा एक घरेलु गैस सिलेण्डर खाली पाया गया। मौके पर मकान मालिक के सदस्यों तथा आस पड़ौस में उपस्थितों से पूछने पर उक्त दुकान श्री सुनील पुत्र चैनसिंह जाति रावणा राजपूत द्वारा किराये पर लेकर चलाने तथा सिलेण्डरों से रिफलिंग करने का कार्य बताया गया। जिसका विवरण इस प्रकार है:-

क्र. स.	गैस कम्पनी का नाम	एस.आर.नम्बर	सिलेण्डर का वजन	कुल वजन	गैस का वजन (किलो में)
1.	HP	500507	15.500 कि.ग्रा.	29.700 कि.ग्रा.	14.200 कि.ग्रा.
2.	HP	834627	15.500 कि.ग्रा.	29.200 कि.ग्रा.	13.700 कि.ग्रा.
3.	HP	141855	15.500 कि.ग्रा.	23.00 कि.ग्रा.	7.500 कि.ग्रा.
4.	HP	101094	15.300 कि.ग्रा.	27.00 कि.ग्रा.	11.700 कि.ग्रा.
5.	HP	348436	15.00 कि.ग्रा.	15.00 कि.ग्रा.	--
एक छोटा सिलेण्डर वजन 5 कि.ग्रा., एक दो मुंह की इलेक्ट्रिक मोटर, एक नोजल मय रेगुंलेटर					

उक्त 05 घरेलु गैस सिलेण्डर, एक छोटा सिलेण्डर, एक दो मुह पाईप वाली इलेक्ट्रीक मोटर, एक नोजल मय रेगुलेटर को जब्त सरकार किया जाकर श्री राजेश मैनेजर महावीर गैस एजेन्सी जोधपुर को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त 05 घरेलु गैस सिलेण्डर, एक छोटा सिलेण्डर, एक दो मुह पाईप वाली इलेक्ट्रीक मोटर, एक नोजल मय रेगुलेटर का अवैध भण्डारण व व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अत: प्रार्थी द्वारा धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त 05 घरेलु गैस सिलेण्डर, एक छोटा सिलेण्डर, एक दो मुह पाईप वाली इलेक्ट्रीक मोटर, एक नोजल मय रेगुलेटर को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहने पर प्रार्थी विभागीय पेरोकार की की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्री पुष्पराज पालीवाल प्रवर्तन अधिकारी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा वक्त जांच मौके पर एच.पी. गैस के 05 घरेलु गैस सिलेण्डर, एक छोटा सिलेण्डर, एक दो मुह पाईप वाली इलेक्ट्रीक मोटर, एक नोजल मय रेगुलेटर पाए गए, जिनका सिलेण्डरों से रिफलिंग कार्य किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा 05 घरेलु गैस सिलेण्डर, एक छोटा सिलेण्डर, एक दो मुह पाईप वाली इलेक्ट्रीक मोटर, एक नोजल मय रेगुलेटर का अवैध भण्डारण व व्यावसायिक इस्तेमाल किया जाने से आवश्यक व[illegible]यम, 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट रूप से उल्लंघन कि[illegible] उक्त 05 घरेलु गैस

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2024.12.17 16:22:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

सिलेण्डर, एक छोटा सिलेण्डर, एक दो मुह पाईप वाली इलेक्ट्रीक मोटर, एक नोजल मय रेगुलेटर सिलेण्डर को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

हमने विभागीय पेरोकार की एकपक्षीय बहस पर मनन एवं प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वक्त जांच मौके पर उक्त 05 घरेलु गैस सिलेण्डर, एक छोटा सिलेण्डर, एक दो मुह पाईप वाली इलेक्ट्रीक मोटर, एक नोजल मय रेगुलेटर पाये गये जिसके संबंध में अप्रार्थी द्वारा रिफलिंग कार्य हेतु घरेलु गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डारण किया जाकर व्यावसायिक उपयोग में लिया जा रहा था जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तसुदा उक्त 05 घरेलु गैस सिलेण्डर, एक छोटा सिलेण्डर, एक दो मुह पाईप वाली इलेक्ट्रीक मोटर, एक नोजल मय रेगुलेटर को राज्यसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि जब्तसुदा 05 घरेलु गैस सिलेण्डर, एक छोटा सिलेण्डर, एक दो मुह पाईप वाली इलेक्ट्रीक मोटर, एक नोजल मय रेगुलेटर का नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राज्य कोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2024.12.17 16:22:19 IST
Reason: SelfAttested

3